

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 36

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2023-01902

आवेदिका : नीता सिंह, पिता-श्री कमल सिंह, निवासी-वार्ड क्रमांक-4, राजफेमली, खैरागढ़,
जिला-खैरागढ़ (छ.ग.) विरुद्ध जयदेव वेन्चर्स, निवासी-कमल विलास पैलेस, जयदेव
वेन्चर्स, जिला-खैरागढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "रश्मि देवी नगर कॉलोनी फेस-3", जिला-खैरागढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/07/2023	<p>प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>अनावेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>आवेदक पक्षकार विगत तीन पेशियों में लगातार अनुपस्थित है। प्रकरण में सुनवाई के दौरान एक-एक घंटा के अंतराल में तीन-तीन बार पुकार लगवाया गया।</p> <p>उभय पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुये हैं।</p> <p>प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। अभिलेख कोष में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 36

प्रकरण क्रमांक- M-PRO-2023-01902

आवेदिका : नीता सिंह, पिता-श्री कमल सिंह, निवासी-वार्ड क्रमांक-4, राजफेमली, खैरागढ़,
जिला-खैरागढ़ (छ.ग.) विरुद्ध जयदेव वेन्चर्स, निवासी-कमल विलास पैलेस, जयदेव
वेन्चर्स, जिला-खैरागढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट - "रश्मि देवी नगर कॉलोनी फेस-3", जिला-खैरागढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर